HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (C.G.)

(A State Government University established under Chhattisgarh Act No. 16 of 2015)
Raipur Naka, Durg (C.G.) – 491001
Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone 0788-2359400

No./4133(A)/Academic/Annual Affiliation/ 2021 **Durg, Dated - 11 / 10 /2021**

ORDER

As per the previous recommendation of the University Standing Committee and approval by the Executive Council, following college is granted Annual Affiliation for the year **2021-22** as shown in the class/subject after deposit of prescribed fee under the term and condition laid down in University Statue 27 & 28.

College Name	Class/ Subject	No. of Seats	Affiliation (Permanent/Non-Permanent)
Govt. Nehru PG College, Dongergarh, Dist.- Rajnandgaon (C.G.)	**B.A.** - Hindi, English, Economics, History, Political Science **Including additional subj. with non perma. Affili** Geography, Home Science, Sociology (100)	330	Permanent Affiliation
	B.Com. Including additional subj. with non perma. Affili Computer Application (20)	180	Permanent Affiliation
	B.Sc. - Maths, Physics, Chemistry **Including additional subject** Computer Science (20)	130	Non-Permanent Affiliation
	B.Sc. - Botany, Zoology, Chemistry	200	Non-Permanent Affiliation
	M.A. -Political Science	30	Non-Permanent Affiliation
	M.A. - History	30	Non-Permanent Affiliation
	M.A. - Economics	30	Non-Permanent Affiliation
	M.A. -Hindi	30	Non-Permanent Affiliation
	M.A. - English	30	Non-Permanent Affiliation
	M.A. - Geography	25	Non-Permanent Affiliation
	M.Sc. - Mathematics	30	Non-Permanent Affiliation
	M.Sc. - Physics	20	Non-Permanent Affiliation
	M.Sc. - Zoology	20	Non-Permanent Affiliation
	M.Com	30	Non-Permanent Affiliation
	PGDCA	50	Non-Permanent Affiliation
	B.P. Ed	100	Non-Permanent Affiliation
	PG Diploma in Yoga Science	100	Non-Permanent Affiliation
	DCA	50	Non-Permanent Affiliation

Instructions-

1. College will follow recent admission guidelines issued by Department of Higher Education, Govt. of Chhattisgarh and will also give priority to students of Chhattisgarh State.
2. All teaching and non-teaching staff of the college will be given pay scale (Including all allowances) as recommended by UGC/CG Govt.
3. If the college doesn't follow the terms & conditions mentioned in the order of Govt. and any objection is laid at any point then action may be taken as per rules.
4. No donation should be collected from the students as per provision of the govt. rules.
5. College must have to follow the directions issued by affiliating university from time to time.
6. From the inception of any course, recruitment of minimum teaching staff is compulsory.
7. Books of the concerned subjects should be purchased instantly.

8. If there is any modification regarding subjects/classes/seat no. in this affiliation letter, then colleges should compulsorily contact University within 10 days from the date of release of letter along with documentary proof.

Failing to fulfill the conditions as mentioned above, the affiliation in subjects/classes provided to college can be reverted from the upcoming session.

Registrar

Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg

No. /4134 (A)/Academic/Annual Affiliation/2021 **Durg, Dated - 11 / 10 /2021**

Copy to –

1. Commissioner Higher Education Dept. Block C, Second & Third Flour, Indravati Bhavan, Atal Nagar, Naya Raipur.
2. PA to Hon'ble VC/Registrar for information.
3. Exam Section, Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg (C.G.)

Asst. Registrar (Acad.)

Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg

Additional Information

The State of Chhattisgarh is primarily a tribal state whose population comprises of 15 % of SC category, 37% ST category and 39 % of OBC category. The College has adopted concrete strategies to increase and improve access to the students belonging to the diversified categories.

SC/ST and OBC

- In compliance with the Reservation policy of the State Government, the College ensures that 32% reservation in admission is given to ST candidate, 12% for SC candidates and 14% for the OBC candidates.
- Age relaxation of 3 year is given to SC/ST/OBC applicants.
- Financial assistance is provided in the form of Scholarship from the Govt.
- Book Bank facility is given to the students who belong to SC/ST category.

Women Candidates

- To encourage and motivate more and more women candidates towards higher education, 30% seats in all reserved categories is allotted for women.
- Age relaxation of three years is applicable to women candidates at the UG level and PG level.

Different Categories of Persons with Disabilities

As per the norms of the State Government, the physically challenged students are given weightage of 10% on marks obtained apart from 3% reservation in admission.

- Necessary support facilities are provided to such student in the college campus.

Economically Weaker Sections

- They can avail BPL scholarship in order to fulfill their needs.

Outstanding Achievers in Sports and Extracurricular Activities

- Outstanding achievers in sports, NCC & NSS are given priority in admission.
- They are given 2-10% weightage in admission.

On the basis of the performance of sports person at state level, national level, they are presented with certificates or sports kit on the basis of their performance

Principal,
Govt. Nehru P. G. College
DONGARGARH
Distt. Rajnandgaon (C.G.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक 101 / 11 /आउशि / योजना / 2021-22 अटल नगर, दिनांक 04/09/2021

प्रति,

समस्त प्राचार्य
संबंधित शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषयः— प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से स्ववित्तीय योजना अंतर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठ्यक्रम/संकाय प्रारंभ करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत् ।

विषयः— छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3-96/2021/38-1 दिनांक 03.09.2021

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश द्वारा राज्य में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में **सत्र 2021-22** से **स्ववित्तीय योजना अंतर्गत** स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठ्यक्रम/संकाय प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्ववित्तीय योजना अंतर्गत प्रस्तावित पाठ्कम	वांछित सीट संख्या
1.	शास. बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महा. बिलासपुर	M.Lib. & I. Sc. (1 year)	50
		Onco-nutrition (I Year)	50
		B.Sc. Bio-technology (3Year)	100
		B.Sc. Micro Biology (3Year)	100
2	शास. कमला देवी पी.जी. कन्या महाविद्यालय राजनांदगांव	P.G. Diploma in Yoga Education & Philosophy	25
3	शास. नेमीचंद जैन महाविद्यालय दल्लीराजहरा जिला बालोद	पीजीडीसीए	40
		डीसीए	40
4	शास. इंजी. विश्वेसरैया पी.जी. महा. कोरबा	एम.ए. इतिहास	30
		बी.पी.एड.	50
5	शास.टी.सी.एल महाविद्यालय जांजगीर	एम.ए. संस्कृत	35
		एम.ए. मनोविज्ञान	35
		एम.ए. गृहविज्ञान	35
		बी.ए. भूगोल	60
		Bachelor of Social Work (BSW)	50
		एम.एससी. (कम्प्यूटर साइंस)	30
6	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महा. अभनपुर	Diploma in Business Management	30
		P.G. Diploma in Yoga Education & Philosophy	30
		बी.सी.ए.	40
7	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महा. धरसीवा ,रायपुर	एम.कॉम.	20
		एम.एससी. भौतिकशास्त्र	15
		एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	15

//निरंतर.....1//

8	शास. महाविद्यालय लवन, जिला बलौदाबाजार भाटापारा	डीसीए	30
		पीजीडीसीए	30
9	इंदिरा गांधी शास. महा. वैशालीनगर, भिलाई जिला दुर्ग	बी.कॉम (कम्प्यूटर एप्लीकेशन)	30
10	शास. राजीवलोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजिम जिला गरियाबंद	डीसीए	40
		पीजीडीसीए	40
11	शासकीय महाविद्यालय, जनकपुर जिला कोरिया	पीजीडीसीए	60
12	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुन्ठपुर जिला कोरिया	एम.एससी. गणित	40
13	शास. एस.एन.जी. महाविद्यालय, मुंगेली	एम.कॉम.	40
14	शास. महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला बालोद	पीजीडीसीए	40
15	शास. स्वामी आत्मानंद महा. नारायणपुर	एम.कॉम.	20
16	शास. रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर	एम.एससी. जंतुविज्ञान	30
17	शासकीय महाविद्यालय राजपुर	बी.एससी. गणित समूह	60
		बी.सी.ए.	50
		डीसीए	50
		पीजीडीसीए	60
		Bachelor of Fashion Desining Degree B.Des and B.Sc	30
		एम.एससी.प्राणीशास्त्र	20
		एम.एससी. रसायनशास्त्र	20
18	शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज	डीसीए	50
		पीजीडीसीए	50
19	महंत श्री रामजानकी शरण दास वैष्णव शासकीय स्नातक महाविद्यालय पिपरिया, जिला कबीरधाम	डीसीए	80
		पीजीडीसीए	80
20	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुई–कुकदुर जिला कबीरधाम	एम.एससी. रसायनशास्त्र	30
		एम.ए. भूगोल	30
		एम.ए. समाजशास्त्र	30
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	30
		एम.ए. हिन्दी	30
		बी.एससी. गणित समूह	140
21	शासकीय गजानन्द अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा	बी.ए. (अंग्रेजी साहित्य)	50
22	शासकीय शहीद वीरनारायण सिंह महाविद्यालय बिलाईगढ	एम.ए. भूगोल	40
23	शासकीय राम भजन राय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर	एम.ए. हिन्दी	30
		एम.ए. समाजशास्त्र	30
		एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	30
24	ठाकुर शोभा सिंह शासकीय महाविद्यालय पत्थलगांव जिला जशपुर	एम.ए. हिन्दी	40
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	40
		एम.एससी. रसायनशास्त्र	30
		एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	30
		एम.एससी. गणित	30
25	शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय, जशपुर	M.Sc. (Computer Science)	30
		Bachelor of Physical Education (BPE)	30

//निरंतर.....2//

26	शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर	एम.ए. अंग्रेजी साहित्य	50
		एम.ए. गृहविज्ञान	50
		एम.लिब. (पुस्तकालय विज्ञान)	30
27	शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, जिला बिलासपुर	एम.एससी. रसायनशास्त्र	20
		बी.सी.ए..	40
28	शासकीय महाविद्यालय,बरपाली जिला कोरबा	एम.ए. हिन्दी	40
29	शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदीबाजार जिला कोरबा	एम.कॉम.	40
30	शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, कोरबा	एम.एस. डब्ल्यू. (MSW)	30
31	शासकीय डॉ.बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव	डीसीए	50
		पीजीडीसीए	30
		एम.एससी. रसायनशास्त्र	20
		एम.एससी. भौतिकशास्त्र	20
32	शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़	बी.पी.एड.	100
		पी.जी. डिप्लोमा इन योगा साईंस	100
		डीसीए	50
		बी.एससी. कम्प्यूटर साईंस	20
		बी.ए. (समाजशास्त्र)	100
33	शासकीय लाल चक्रधर शाह. महाविद्यालय, अंबागढ़ चौकी	बी.ए. (समाजशास्त्र)	80
		बी.ए. (अंग्रेजी साहित्य)	80
		बी.ए. (भूगोल)	30
		एम.ए. इतिहास	30
		एम.एससी. प्राणीशास्त्र	20
		एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	20
34	शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा	एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	30
		एम.एससी. भौतिकशास्त्र	30
35	शासकीय डॉ.इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय अकलतरा जिला जांजगीर चांपा	बी.ए. (इतिहास)	40
		बी.ए. (भूगोल)	40
		बी.एस.एच.सी. (गृहविज्ञान)	40
		एम.एससी. भौतिकशास्त्र	20
		एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	20
		एम.एससी. प्राणीशास्त्र	20
36	शासकीय महाविद्यालय बिर्रा जिला जांजगीर चांपा	एम.ए. हिन्दी	30
		एम.ए. राजनीति विज्ञान	30
37	शास. वी.वाय.टी. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग	Certificate course in Pisciculture	40
		Machine Learning and its Application	30
		Certificate in Applied Microbiology	30
		Certificate Course in Soil and Water Analysis	30
		Certificate Course in English for Communication Skills	30
		Remote Sensing and Geographical Information System (G.I.S.)	30
		पूजा पद्धति एवं संस्कार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र	30
		P.G. Diploma in Criminology and Forensic Science	30
		Post Graduate Diploma in Library Automation And Networking.	30

//निरंतर.....3//

	शास. वी.वाय.टी. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग	Diploma in Tally with Taxation	40
		Diploma Course in English Communication Skill	30
		PG Diploma in Guidance and Counselling	30
		छ.ग. लोक साहित्य प्रमाण पत्र	30
		Diploma in Concepts of Epidemiology	25
		Certificate course in indian freedom movement and constututional development	25
		Certificate course in Tourism Studies	20
		Certificate course in Vedic Ganit	40

उक्त **शासकीय महाविद्यालयों द्वारा स्ववित्तीय योजनांतर्गत प्रस्तावित विषय/संकाय को प्रारंभ करने की अनुमति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान की जावेगीः—**

1. स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत उक्त विषय/संकाय का संचालन **शैक्षणिक सत्र 2021—22** से किया जावेगा।
2. शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारियों की एवं लाइब्रेरी, फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्त्रोतों से वहन करना होगा। इसके लिए किसी प्रकार का वित्तीय भार शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा, अर्थात् **राज्य शासन द्वारा भविष्य में किसी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई भी अनुदान नहीं दिया जावेगा।**
3. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शासन के निर्धारित मापदंड पर की जावेगी।
4. उक्त विषय/संकाय प्रारंभ करने पर आय—व्यय के लेखों का सत्यापन विभागीय अंकेक्षण दल/सी.ए. द्वारा कराया जाकर प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा संचालनालय को अपना प्रतिवेदन सौंपना होगा।

संलग्न— संदर्भानुसार

6.9.2021

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक 102 / 14 / आउशि / योजना / 2021–22 अटल नगर, दिनांक 04/09/2021

प्रति,

समस्त प्राचार्य
संबंधित शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषयः– प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयो में सत्र 2021–22 के लिये प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बावत।

संदर्भः– छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3–88 / 2021 / 38–1 दिनांक 03.09.2021

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **संदर्भित पत्र द्वारा सत्र 2021–22 हेतु निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों के** निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की गई है:–

क्र	महाविद्यालय का नाम	सीट वृद्धि हेतु प्रस्तावित संकाय / विषय का नाम	निर्धारित सीट संख्या	प्रस्तावित सीट वृद्धि	वृद्धि पश्चात सीट संख्या
1	शास. माता शबरी नवीन पीजी कन्या महा बिलासपुर	एम.कॉम. (स्ववित्तीय)	30	30	60
		बी.लिब.आई.एस.सी (स्ववित्तीय)	30	50	80
		पी.जी.डी.सी.ए. (स्ववित्तीय)	30	50	80
2	भानुप्रताप देव शास. पी.जी. महाविद्यालय कांकेर	बी.एससी. (गणित, भौतिक, रसायन)	40	60	100
		बी.एससी. (वनस्पति, प्राणीशास्त्र, रसायन)	120	80	200
		बी.एससी. (गणित, भौतिक सूचना प्रौद्योगिकी)	30	20	50
		बी.कॉम.	190	35	225
3	शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर	बी.एससी. (बॉयोलॉजी समूह)	80	50	130
		एम.एससी. रसायनशास्त्र	20	30	50
4	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय वाड्रफनगर,	बी.एससी. (विज्ञान समूह)	150	50	200
5	स्व. श्री महली भगत शास. महाविद्यालय कुसमी	बी.ए.	125	75	200
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	80	40	120
6	शास. अरूण प्रताप सिंहदेव महाविद्यालय, शंकरगढ़	बी.एससी. (विज्ञान समूह)	60	40	100
		बी.ए.	60	40	100
7	शासकीय पं. माधवराव सपे महाविद्यालय, पेन्ड्रारोड	बी.एससी. विज्ञान समूह	60	40	100
8	शासकीय नवीन महाविद्यालय, भैरमगढ़	बी.ए. (भूगोल)	20	20	40
9	शास. एस.एन.जी. महाविद्यालय, मुंगेली	बी.कॉम	75	25	100
		एम.ए. भूगोल	40	20	60
		पी.जी.डी.सी.ए.	25	25	50

/ / निरंतर..................1 / /

10	शासकीय रानी अवंती बाई लोधी, महाविद्यालय, घुमका	बी.एससी. विज्ञान समूह	80	20	100
		बी.ए.	180	20	200
11	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय राजनादंगांव	बी.ए.	80	40	120
		बी.कॉम	80	40	120
		एम.एससी. रसायनशास्त्र	20	20	40
		एम.एससी. गणित	20	20	40
12	शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़	बी.ए.	280	50	330
		बी.कॉम	150	30	180
		बी.एससी. विज्ञान समूह	160	40	200
		पी.जी.डी.सी.ए.	25	25	50
13	शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव	बी.एससी. विज्ञान समूह	400	40	440
		बी.ए.	440	60	500
		बी.कॉम.	400	40	440
		बी.ए.जे.एम.सी. (पत्रकारिता)	40	10	50
		एम.कॉम.	60	20	80
		एम.एससी. बायोटेक्नोलॉजी	15	5	20
		एम.एससी. रसायन	20	10	30
		एम.एससी. माइक्रोबायोलाजी	10	10	20
14	शासकीय कमलादेवी राठी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव	बी.एससी. विज्ञान समूह	240	40	280
15	शासकीय नवीन महाविद्यालय साल्हेवारा	बी.ए.	60	30	90
16	शासकीय डॉ.बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव	बी.एससी. गणित समूह	170	50	220
		बी.एससी. विज्ञान समूह	100	30	130
17	शासकीय कुंजबिहारी चौबे महाविद्यालय, लाल बहादुर नगर राजनांदगांव	बी.ए.	180	70	250
		बी.एससी. विज्ञान समूह	90	60	150
18	शास.लाल चक्रधर शाह. महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव	बी.एससी. विज्ञान समूह	120	30	150
19	शासकीय महाविद्यालय मोहला, राजनांदगांव	बी.एससी. विज्ञान समूह	120	30	150
		बी.ए.	180	20	200
20	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय मानपुर	बी.एससी. विज्ञान समूह	60	40	100
21	शास.जे.एम.पी. महाविद्यालय तखतपुर	बी.ए.	200	50	250
		बी.एससी. गणित समूह	40	10	50
		बी.एससी. विज्ञान समूह	80	20	100
22	शासकीय चन्दूलाल चन्द्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन	बी.एससी. विज्ञान समूह	60	60	120
		बी.कॉम.	60	30	90
23	डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई–3	बी.एससी. गणित समूह	80	10	90
		बी.एससी. विज्ञान समूह	90	10	100
		बी.कॉम.	305	50	355
		बी.ए.	305	50	355
		पी.जी.डी.सी.ए.	90	10	100

//निरंतर............2//

24	शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	बी.एससी. गणित समूह	150	50	200
		बी.एससी. विज्ञान समूह	160	50	210
		बी.कॉम.	80	40	120
		बी.ए.	250	50	300
25	शासकीय क्रांति कुमार भारतीय महाविद्यालय सक्ती	बी.कॉम.	35	15	50
26	शसकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चाम्पा	बी.ए.	240	60	300
		बी.एससी. गणित समूह	80	20	100
		बी.एससी. विज्ञान समूह	140	30	170
		बी.एससी. विज्ञान समूह टसर टेक्नोलॉजी	40	20	60
		बी.कॉम	120	30	150
		एम.एससी. गणित	30	20	50
		एम.एससी. रसायन	30	10	40
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	40	20	60
		पी.जी.डी.सी.ए.	60	20	80
27	शासकीय नवीन महाविद्यालय बलौदा, जिला–जांजगीर–चाम्पा	बी.ए.	95	25	120
		पी.जी.डी.सी.ए. (स्ववित्तीय)	30	10	40
28	शासकीय डॉ.इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय, अकलतरा	बी.ए.	200	50	250
		बी.एससी. विज्ञान समूह	70	30	100
		एम.एससी. गणित	15	10	25
		एम.एससी. रसायन	20	10	30
29	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुई–कुकदुर जिला कबीरधाम	बी.ए.	90	50	140
		बी.एससी. विज्ञान समूह	90	50	140
		बी.कॉम.	90	50	140
30	शासकीय राम भजन राय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर	एम.एससी. गणित	15	15	30
		एम.एससी. रसायन	15	15	30
31	शासकीय महाविद्यालय दीपका	बी.एससी. विज्ञान समूह	60	20	80
		बी.ए.	60	20	80
		बी.ए. (समाजशास्त्र)	40	40	80
		बी.कॉम.	60	20	80
32	शासकीय महाविद्यालय बरपाली	बी.ए.	140	60	200
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	20	20	40
33	शासकीय महाविद्यालय पाली	बी.ए.	60	40	100
		बी.एससी. विज्ञान समूह	60	40	100
		एम.ए. समाजशास्त्र	40	20	60
		एम.कॉम.	40	20	60
34	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर,	बी.कॉम.	120	40	160
		एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	20	10	30
35	शासकीय गजानन्द अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा	बी.ए. (समाजशास्त्र)	50	100	150
		बी.ए. (भूगोल)	40	20	60
36	शासकीय शहीद वीरनारायण सिंह महाविद्यालय बिलाईगढ़	बी.एससी. विज्ञान समूह	60	20	80
37	शासकीय महाविद्यालय लवन	बी.एससी. विज्ञान समूह	75	25	100
		बी.ए.	110	15	125
38	शासकीय दाऊ कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार	पी.जी.डी.सी.ए.	30	30	60

//निरंतर............3//

39	शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला बालोद	बी.ए.	230	20	250
		बी.कॉम.	80	20	100
		बी.एससी. विज्ञान समूह	90	20	110
40	शासकीय नवीन महाविद्यालय बेलौदी जिला बालोद	बी.ए.	90	20	110
		बी.एससी. विज्ञान समूह	80	20	100
41	शासकीय नवीन महाविद्यालय जनकपुर	बी.एससी. विज्ञान समूह	120	50	170
42	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर	बी.एससी.	210	50	260
		बी.ए.	300	60	360
		बी.कॉम.	120	40	160
43	पं0 ज्वाला प्रसाद उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय पटना,	बी.ए.	105	15	120
		बी.एससी. विज्ञान समूह	105	15	120
44	शास. शहीद बापूराव महाविद्यालय सुकमा	बी.एससी. विज्ञान समूह	60	40	100

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तो के आधार पर सीट वृद्धि की जावेगी–

1. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
2. फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्त्रोतों से वहन करना पड़ेगा।
3. भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
4. यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव **सत्र 2021–22** से प्रभावशील रहेगा।

संलग्न– संदर्भानुसार

5.9.2021

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम– दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका,दुर्ग (छ.ग.). 491001

ईमेल: academic@durguniversity.ac.in वेबसाइट: www.durguniversity.ac.in दूरभाष: 0788-2359400

क्र./ 3853 /अका./2021 दुर्ग, दिनांक 29 /07/2021

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :– प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत एवं अकादमिक कैलेण्डर (शैक्षणिक सत्र 2021–22) के संबंध में।

संदर्भ :–(01) कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) का पत्र कमांक 1684/214/आउशि/सम./2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14/07/2021

(02) कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) का पत्र कमांक 1722/213/आउशि/सम./2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26/07/2021

— — — 00 — — —

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए उच्च शिक्षा विभाग से प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त एवं अकादमिक कैलेण्डर प्राप्त हुआ है, जो मूलतः संलग्न है।

उक्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त मे दिए गए प्रावधानों एवं अकादमिक कैलेण्डर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्र./ 3854 /अका./2021 दिनांक 29/07/2021

प्रतिलिपिः–

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. कुलपति महोदय के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

सहा. कुलसचिव (अका.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर
------00---------

No.: L-201----22---- 1145
AD-(K)--/JD/----/DD----
Section---- समन्वय
Date 6 JUL 2021 C.H.E

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।**

संदर्भः– **आपका ज्ञापन कमांक 1563/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 16.06.2021**

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

समन्वय
08/07/2021

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2021–22

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

दशिडा

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2021–22

1. **प्रयुक्ति :–**

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

2. **प्रवेश की तिथि :–**

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–**

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगें।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंब तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा

किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक **''ख''** ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 **पुनर्मूल्यांकन / *पुनर्गणना* में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :–**

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय ,तृतीय वर्ष *एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी.* की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

प्रवेश सूची :–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/–अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में ***15 सितम्बर*** के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. **प्रवेश की पात्रता :–**

5.1 **निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–**

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के

विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यत प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधा पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल /बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रत होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चा ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 **स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :–**

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्र होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश न दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों व केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संका के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय मे प्रवेश की पात्रता हो इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अ बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 **स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–**

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रम एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय ले बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्र की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व–भूगोल में उन्हीं विद्यर्थियों को प्रवेश पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरो के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

(ख) स्नातकोत्तर ***प्रथम वर्ष उत्तीर्ण*** आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्त आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 **विधि संकाय नियमित प्रवेश :–**

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 **प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :–**

(क) ''विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति / अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति / अनूसूचित जाति / ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।''

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. **समकक्ष परीक्षा :–**

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र / ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने / डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसे संस्थाओं से डिग्री / डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण–पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।''

7. **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :–**

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.–सी./बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र

प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. **अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :–**

8.1 *स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।*

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 ***विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष*** में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9 **प्रवेश हेतु अर्हताएं :–**

9.1 **किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में** आगामी वर्ष/वर्षो में **पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।** यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा **27 वर्ष** मान्य की जाएगी। बी.पी.एड.एवं एम.पी.एड. के लिए निर्धारित आयु सीमा 25 एवं 28 वर्ष होगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. **प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण :–**

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–

स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

2 आरक्षण–छत्तीसगढ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

21 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त सख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहॉ अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम मे पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सबध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियन के

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के **पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन** के लिये 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें ।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 **अधिभार :–**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 **एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स**

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी ''बी'' सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

(ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स — 04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को — 04 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को — 05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स — 05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स — 10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट — 10 प्रतिशत

(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट — 10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को — 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त — 15 प्रतिशत

करने वाले को

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 **विशेष प्रोत्साहन :–**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 **संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :–**

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम

ने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। ह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

शोध छात्र :–

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। **संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।**

16 **विशेष :–**

16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1722/213/आउशि/सम./2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26/07/20

प्रति,

1. **कुलसचिव,**
   समस्त विश्वविद्यालय (छ.ग.)
2. **प्राचार्य,**
   समस्त शासकीय महाविद्यालय (छ.ग.)

विषय :– शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अकादमिक कैलेण्डर विषयक ।
संदर्भ :– अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17–83/2018/38–2 दिनांक 19.07.2021

–––00–––

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग.उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 का अकादमिक कैलेण्डर जारी किया गया है, जो मूलतः संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त अकादमिक कैलेण्डर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

26.7.2021
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

पृ.क्रमांक/1723/213/आउशि/ सम/2021 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26/7/20

प्रतिलिपि :–

अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. को सूचनार्थ ।

26.7.2021
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
Email-higher-education@cg.gov.in

No.: L-201-----22----- 2043
AD--(K)--/JD/------/DD------
Section-- Samanya
Date 22 JUL 2021 C.H.E.

क्रमांक एफ 17–83 / 2018 / 38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, 19/7/21

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अकादमिक कैलेण्डर विषयक।
संदर्भः– आपका प्रस्ताव क्रमांक 1595 / 213 / आउशि / सम. / 2021 दिनांक 25.06.2021

.....00.......

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव के संबंध में आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–22 का अकादमिक कैलेण्डर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– यथोपरि।

19/7/21
(गौरीशंकर शर्मा)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

26/7/2021

क्रमांक एफ 17–83 / 2018 / 38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर,

प्रति,

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग,, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़

शैक्षणिक सत्र 2021–22 का अकादमिक कैलेण्डर

(कोविड–19 महामारी के कारण केवल इसी सत्र हेतु)

क्र.		विवरण	तिथियाँ	
1	प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार)			
	(क)	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु	02.08.2021 से 31.08.2021	
	(ख)	अन्य कक्षाओं हेतु	परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर	
	(ग)	प्रवेश प्रकिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से सम्पन्न कराए जाये।		
2	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि		15.09.2021	
3	नियमित कक्षायें प्रारंभ		02.08.2021 (नवीनीकरण विद्यार्थियों हेतु) 01.09.2021 (नवीन विद्यार्थियों हेतु)	
4	वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा		परीक्षा पूर्णता के 15 दिन के अन्दर	
5	पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा		30.09.2021	ऑफलाइन परीक्षाओं के लिये लागू
6	पूरक परीक्षा का आयोजन		(न्यूनतम समय में)	
7	पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा		30.10.2021	
8	छात्रसंघ गतिविधियाँ			
	(क)	छात्रसंघ गठन चुनाव प्रकिया एवं शपथ ग्रहण	21.09.2021 से 30.09.2021 (विषम परिस्थितियों में शासन के निर्देश मान्य होंगे।)	
9	खेलकूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियॉ :–			
	(क)	खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रांरम्भ (इंडोर आउटडोर)	विषम परिस्थितियों में शासन के निर्देश मान्य होंगे।	
	(ख)	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर)		
	(ग)	महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण		
10	एन सी.सी. /एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियॉ :–			
	(क)	वृक्षारोपण कार्यकम	जुलाई 2021 का द्वितीय सप्ताह	
	(ख)	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	21, 22 एवं 23 दिसम्बर 2021 में से कोई एक दिन	
	(ग)	एनसीसी /एनएसएस कैम्प का आयोजन	25.10.2021 से 31.12.2021 के मध्य	
	(घ.)	दीक्षान्त समारोह	फरवरी 2021	

22.6.21 22.6.21 22/6/21

		विवरण	तिथियाँ
	अवकाश		
	(अ)	दशहरा अवकाश (3 दिन)	14.10.2021 से 16.10.2021 तक
	(ब)	दीपावली अवकाश (4 दिन)	03.11.2021 से 06.11.2021 तक
	(स)	शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	23.12.2021 से 25.12.2021 तक
	(द)	ग्रीष्मकालीन अवकाश (15 दिन)	16.06.2022 से 30.06..2022 तक
12	आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम		
	1	प्रथम यूनिट परीक्षा	05.10.2021
	2	द्वितीय यूनिट परीक्षा	03.11.2021
	3	प्रथम सत्र परीक्षा	01 से 03 दिसम्बर 2021
	4	तृतीय यूनिट परीक्षा	05.01.2022
	5	द्वितीय सत्र परीक्षा	20 से 22 जनवरी 2022
	6	चतुर्थ यूनिट परीक्षा	08.02.2022
	7	प्री– फाइनल परीक्षा	22, 23 एवं 24 फरवरी 2022
13	वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम		
	1	वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	26.03.2022 से 09.04.2022
	2	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	16.04.2022 से 15.06.2022

नोटः– अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक कलेण्डर का पालन सुनिश्चित हो।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :–

1. प्रत्येक विषय में ऑनलाइन / ऑफलाइन कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल 7 आंतरिक परीक्षाओं कक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कैम्प / खेलकूद / राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जावेगा।
4. ऑनलाइन / ऑफलाइन कक्षाओं में उपस्थिति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जावेगी।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालको को सूचना दी जावेगी।
6. ऑनलाइन / ऑफलाइन कक्षाओं में उपस्थिति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की जावेगी।

(सेमेस्टर कक्षाओं के लिए)

अकादमिक कार्य	स्नातकोत्तर (I/III/V/VII/IX सेमेस्टर)	स्नातकोत्तर (II/IV/VI/VIII/X सेमेस्टर)
कक्षाएँ प्रारंभ	1 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार)	05 फरवरी, 2022 (शनिवार)
शैक्षणिक कार्य	1 अक्टूबर, 2021 से 15 जनवरी, 2022	07 फरवरी, 2022 से 05 मई 2022
प्रायोगिक परीक्षाएँ	जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह	मई 2022 के द्वितीय सप्ताह
परीक्षा पूर्व तैयारी	10 जनवरी, 2022 से 15 जनवरी, 2022	10 मई, 2022 से 16 मई, 2022
सेमेस्टर परीक्षा	17 जनवरी, 2022 से 05 फरवरी 2022 तक	16 मई, 2022 से 10 जून 2022
परीक्षा परिणाम	मार्च, 2022 के प्रथम सप्ताह तक	जुलाई, 2022 के द्वितीय सप्ताह तक

<u>शिक्षक के कर्तव्य एवं निर्देश</u>

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रूकना आवश्यक होगा।

1. प्रातः कालीन पाली के लिए – प्रातः 07:30 से 02:30 अपरान्ह
2. द्वितीय कालीन पाली के लिए – प्रातः 10:30 से 05:30 संध्या
3. 07 घण्टे का कार्य विवरण –

   6 घण्टे अध्ययन–अध्यापन कार्य
   (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिल है।)

   1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)

4. समस्त प्रकार की बैठक/स्टॉफ कौंसिल की बैठक दोपहर 03:00 बजे के पश्चात् आयोजित की जावे।
5. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे।

22.6.21 22/6/21

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारियॉ प्रदान करेंगें।

7. कोविड–19 के प्रभाव के कारण विलंब से सत्र प्रारंभ हो रहा है। अतः पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अध्यापन हेतु महाविद्यालय स्तर पर कालखण्ड में यथोचित समय वृद्धि की जाये।

8. अध्ययन–अध्यापन की पद्धति में सुधार करते हुए महाविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी मानक का विस्तार किया जाये। विद्यार्थियों को ई–लर्निंग पद्धति से अवगत कराया जाये एवं शासन के ई–लर्निंग पोर्टल का उपयोग अध्यापन हेतु किया जाये।

9. गूगल क्लासरूम, गूगल हैंगआउट, वेबेक्स मिटिंग, यू–ट्यूब स्ट्रीमिंग, स्वयंम प्लेटफार्म एवं स्वयम प्रभा जैसे ऑनलाईन माध्यम की सहायता से अध्ययन–अध्यापन किया जाए।

10. अधिकतम 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम ऑनलाईन माध्यम से तथा अधिकतम 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम परम्परागत तरीके /ऑफलाइन से पूर्ण कराया जाए।

---000---

22.6.21 22/06/21 22.6.21 22/6/21

26.7.2021

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)